भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1407

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

आंध्र प्रदेश में बिना दावे वाली बैंक जमा राशियां

1407. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में बिना दावे की गई बैंक जमा राशियों की कुल राशि का विवरण क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में कार्यरत बैंकों को बिना दावे वाले खातों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, यदि हाँ, तो ऐसे निर्देशों का विवरण तथा उनके अनुपालन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में जमाकर्ताओं का पता लगाने और दावों के निपटान को सुगम बनाने हेतु कोई विशेष अभियान/जिला-स्तरीय अभियान/लक्षित निपटान कार्यक्रम चलाए गए हैं, यदि हाँ, तो ऐसे अभियानों का विवरण, जिनमें निपटाए गए खातों की संख्या तथा वापस की गई राशि शामिल है, का विवरण क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के बैंकों से जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में स्थानांतरित की गई राशि तथा उक्त अवधि में दावों के निपटान हेतु बैंकों को वापस जारी की गई राशि का विवरण क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा बिना दावे की गई जमा राशियों-सूचना तक पहुँच के लिए एकीकृत द्वार (उद्धम) पोर्टल को आंध्र प्रदेश में बैंक शाखा नेटवर्क के साथ त्वरित दावा निपटान के लिए एकीकृत किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त पोर्टल के माध्यम से राज्य से वर्ष-वार प्राप्त एवं निपटाए गए दावों की संख्या क्या है; और

(च) आंध्र प्रदेश, विशेषकर कोनसीमा जिले में, बिना दावे की गई जमा राशियों के संबंध में जन-जागरुकता बढ़ाने, दावा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), आंध्र प्रदेश के अनुसार, दिनांक 28.1.2026 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में बकाया दावा न की गई बैंक जमा राशि 2,279.16 करोड़ रुपये है।

(ख) से (घ): आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में विभिन्न विशेष अभियान चलाए गए हैं, जिनमें बैंकों को दावा न की गई बैंक जमा राशियों की पहचान करने और उनका निपटान करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के समन्वय से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा तीन महीने (अक्टूबर-दिसंबर 2025) का राष्ट्रव्यापी अभियान - "आपकी पूँजी, आपका अधिकार - शुरू किया गया था। अभियान के दौरान, बैंकों, प्रमुख जिला प्रबंधकों (एलडीएम) और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) द्वारा जागरूकता सृजन करने और दावा न की गई वित्तीय आस्तियों का निपटान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए|

(ii) एसएलबीसी आंध्र प्रदेश के अनुसार, अभियान अवधि के दौरान उन्होंने राज्य के अधिकारियों, बैंकों और एलडीएम की भागीदारी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला समाख्या कार्यालय, लीड बैंक कार्यालय, मंडल महिला समाख्या भवन, एमपीडीओ कार्यालय आदि में राज्य भर में 158 स्थानों पर शिविर और अन्य संबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एसएलबीसी द्वारा दिनांक 25.07.2025 को बैंकों, एलडीएम, आरबीआई और नाबार्ड के साथ एक उपसमिति की बैठक आयोजित की गई, ताकि सभी को

अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और सभी पात्र दावों को निपटाने की सलाह दी जा सके। एसएलबीसी द्वारा बैंकों के राज्य प्रमुखों को भी अनुदेश भेजे गए थे ताकि दावा न की गई निधियों के शीघ्र निपटान में सहायता मिल सके। परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश में दिनांक 1.9.2025 से 28.1.2026 तक 161.69 करोड़ रुपये की राशि के 34,455 खातों का निपटान किया गया था।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28.11.2025 के अपने निर्देशों के माध्यम से, बैंकों को दावा न किये गए खातों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित पहल करने की सलाह दी:

- निष्क्रिय खातों/दावा न की गई जमाराशियों के संबंध में ग्राहकों, उनके नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाना ।
- अपनी वेबसाइट पर दावा न की गई जमाओं की सूची प्रदर्शित और अद्यतन करना, जिसे नियमित रूप से कम से कम मासिक आधार पर अपडेट किया जाएगा ।
- निष्क्रिय खातों/दावा न किए गए जमाओं को सक्रिय करने और जमाकर्ता या उसके नामित व्यक्ति/मृत जमाकर्ता के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उसमें पड़ी राशि का दावा करने की निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जन जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाना।

(iv) नीतिगत उपायों में बैंकों के लिए निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और दावा न की गई राशियों का निपटान करने हेतु प्रोत्साहन योजना; नामांकित व्यक्ति के बिना खातों के निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया (एक निश्चित सीमा तक); दावा न किये गए जमाओं के निपटान में तेजी लाने और इसमें और वृद्धि को रोकने के लिए लगातार या एक साथ चार नामांकन तक की सुविधा शुरू की गई है।

आंध्र प्रदेश में बैंकों से डीईए कोष में हस्तांतरित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 28.1.2026 तक) में क्रमशः 236.82 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 552.51 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 418.83 करोड़ रुपये थी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 28.1.2026 तक) के दौरान दावों के निपटान पर बैंकों को वापस जारी की गई राशि क्रमशः 194.58 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 56.61 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 170.12 करोड़ रुपये थी।

(ङ): उदगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत खोज पोर्टल है जो आम जनता को एक ही स्थान पर कई बैंकों में दावा न की गई जमाराशियों के संबंध में जानकारी खोजने की सुविधा प्रदान करता है।

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में कार्यरत बैंकों सहित 30 प्रमुख बैंकों की दावा न किये गए जमाओं के लिए खोज सुविधा उपलब्ध है, जो डीईए निधि में उपलब्ध दावा न किये गए जमाओं (मूल्य के संदर्भ में) का लगभग 90 प्रतिशत कवर करती है। इसके अतिरिक्त, उदगम केवल दावा न की गई जमाओं के लिए एक केंद्रीकृत खोज पोर्टल है, न कि दावा निपटान पोर्टल।

(च) कोनासीमा जिले में, एसएलबीसी, आन्ध्र प्रदेश ने अन्य *बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित विभिन्न उपाय किए हैं -

(i) दावा न की गई बैंक जमा राशि के निपटान के लिए आपकी पुंजी आपका अधिकार अभियान के अंतर्गत अमलापुरम, रामचंद्रपुरम, मंडपेटा, मुम्मिदिवरम, रावुलापालेम में विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं।

(ii) दावा न की गई बैंक जमाराशियों के निपटान के उद्देश्य से प्रिंट और डिजिटल मीडिया, बैनर, होर्डिंग आदि के माध्यम से जन जागरूकता उपाय किये गए हैं|

जिले में दिनांक 1.4.2025 से 28.1.2026 तक 5.08 करोड़ रुपये के कुल 1,899 खातों का निपटान किया गया है।

*****